

**FAMILY COURT, BHOJPUR, ARA**  
**Matrimonial Case No 367/2023**

Sl. No.	Date of order of proceeding	Order with Signature	Office action taken with date
	09-03-2026	<p>पत्रावली प्रस्तुत की गयी। पुकार पर न तो आवेदक और न ही उनकी ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आये। प्रस्तुत वाद आवेदक की ओर से मोहम्डन लॉ की धारा-281 के अंतर्गत अपने वैवाहिक संबंध को पुनर्स्थापित करने की माँग की गयी है।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। आदेश फलक यह स्पष्ट करता है कि हस्तगत मामले में दिनांक 15.03.2024 के के पश्चात् आवेदक अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहे हैं। आवेदक का यह आचरण यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि हस्तगत वाद को आगे जारी रखने में उनकी कोई रुची नहीं रह गयी है।</p> <p>ऐसी परिस्थिति में इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य भी नहीं रह गया है।</p> <p>उपरोक्त परिस्थितियों में हस्तगत वाद को आदेश-9 नियम-3 सी0पी0सी0 के अंतर्गत खारिज किया जाता है।</p> <p>कार्यालय हस्तगत वाद को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करावें।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित (आशुतोष कुमार) प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भोजपुर, आरा।</p>	